न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

जिला– मुंगेर (बिहार)

उपस्थित :– **प्रवाल दत्ता**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।

निर्णय की तिथि :– 09 वीं मार्च, 2026

S.T. Case No. 778/2012

[CIS NO.- 2013/2013]

(Arising out of Sangrampur P.S. Case No. 95/1995)

परिवादी/सूचक	**विजय शंकर झा, पिता**– स्व0 नेवालाल झा, साकिन– कुंआगढ़ी बबनचका, थाना– संग्रामपुर, जिला– मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक सुश्री उर्मिला कुमारी।
अभियुक्तगण	**1. पप्पू यादव,** उम्र–52 वर्ष, पे0– स्व जागो यादव, साकिन– बड़ी महुली, थाना– मुफ़सिल, जिला– मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार ।

Date of offense	**01-10-1995**
Date of FIR	**01-10-1995**
Date of Charge sheet	**28-02-2003**
Date of Framing of Charges	**13-01-2017**
Date of commencement of evidence	**03-03-2017**
Date on which judgment is reserved	**26-02-2026**
Date of the Judgment	**09-03-2026**
Date of the Sentencing order, if any	**अभियुक्त को रिहा किया गया।**

09/03/26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मुंगेर

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offenses Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	पप्पू यादव	25-07-2012	28-08-2012	307, 397, 393/34 IPC	अभियुक्त को रिहा किया गया	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	धारा 428 द0प्र0स0 लागू नहीं क्योंकि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया

निर्णय

1. यह अभिलेख दिनांक **04.10.2012** को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर के द्वारा दौरा सुर्पुदगी के उपरान्त सत्र वाद के रूप में दर्ज कर प्राप्त हुआ।

2. अभियोजन का वाद सूचक विजय झा के फर्दबयान के आधार पर यह है कि दिनांक 01.10.1995 को सूचक अमोद झा के साथ तारापुर सामान खरीदने गया था, तभी 06:15 बजे शाम में सूचक का भाई नरेश चन्द्र झा तारापुर में बस से उतरे। सूचक सहित तीनों लोग चन्दपुरा चौक आये और पैदल चले बालीचा ग्राम से सूचक का भाई रिक्शा कर के सामान लेकर घरके लिए निकले। सूचक पीछे–पीछे चला। करीब 07:00 बजे तीन बटिया चौक के पास एक गोली की आवाज सुनी। रिक्शा वाला चिल्लाया। तीन बटिया चौक से थोड़ी दूरी पर देखा कि चार आदमी दुर्गापुर की ओर भाग रहे थे तथा बहुत से लोग दौड़ कर आये, तब सभी अपराधी भाग गए। रिक्शा के पास सूचक पहुंचा, तो देखा कि सूचक के भाई के मुंह से खून निकल रहा है। रिक्शा चालक से मालूम हुआ कि चार अपराधी घेरकर सामान छिनना चाहा, लेकिन सूचक के भाई के विरोध के कारण एक अपराधी मुंह में गोली मार दिया, जो मुंह में लगते हुए दाहिने तरफ से नीचे निकल गया तथा वह जख्मी हो गया। सूचक अपने भाई को इलाज हेतु संग्रामपुर अस्पताल लाए। सूचक का दावा है कि सूचक का भाई तथा रिक्शा वाला अभियुक्तों को पहचान सकते हैं। इसी कारण प्राथमिकी दर्ज हुई।

09/03/16

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मुंगेर

3. बचाव पक्ष का कथन यह है कि वे निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में पुलिस के द्वारा झूठा फंसाया गया है।

4. अनुसंधान के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध **आरोप पत्र संख्या–28/2003** दिनांक **28.02.2003,** समर्पित किया गया, तदोपरान्त विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर के द्वारा इस वाद में आरोप पत्रित अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक **02.01.1999** को धारा **307, 397, 393 भा0द0वि0** के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। दो अभियुक्त मुकेश यादव एवं पप्पु यादव लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक **06.07.2004** को वाद को पृथक कर गया। पुनः दो अनुपस्थित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त पप्पु यादव दिनांक 25.07.2012 को गिरफ्तार हो गये तथा एक अभियुक्त मुंकेश यादव अनुपस्थित ही रहे। अतः दिनांक 04.04.2016 को मुकेश यादव का वाद पृथक कर दिया गया तथा केवल अभियुक्त पप्पु यादव के विरूद्ध इस पृथक वाद में विचारण चला।

5. इस वाद में **दिनांक 13-01-2017** को अभियुक्त 1. **पप्पू यादव** के विरूद्ध **धारा 307, 397, 393/34 भा0द0वि** के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया समझाया गया, जिस पर वे अपने उपर लगाये गये आरोंपो से इनकार किये तथा विचारण का दावा किये।

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का धारा 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान **दिनांक 23.02.2026** को दर्ज कराया गया जिस पर इस अभियुक्त ने अपने विरूद्ध साक्ष्यों से इनकार किये तथा अपने को निर्दोष बताया।

7. **अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को युक्त–युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल हुए है या नहीं?**

मन्तव्य

8. <u>अभियोजन की ओर से इस वाद में निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–</u>

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	विजय शंकर झा	सूचक	
2.	विपिन पासवान	सामान्य साक्षी	
3.	सुरेश प्रसाद सिंह	सामान्य साक्षी	

09/08/26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मुंगेर

9. **अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।**

10. **बचाव पक्ष कि ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।**

11. इस वाद में अभियोजन पक्ष कि ओर से तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। विचारण के कम में मैं अभियोजन पक्ष कि ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेशन करना चाहूंगा। **अभियोजन साक्षी सं0–1 विजय शंकर झा** है, जो कि इस वाद के सूचक हैं। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के पारा 01 में कहा है कि यह घटना कब की है, मुझे मालुम है पारा 02 में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ है। इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इन्होने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पारा 06 में कहा है कि आज मैंने जो गवाही दिदया हूँ, वह स्वेच्छा से दिया हूँ बिना किसी भय और दबाव के। **अभियोजन साक्षी सं0–02 बिपिन पासवान** है। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के पारा 01 में कहा है कि यह घटना कब की है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पारा 02 में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पारा 06 में कहा है कि आज मैं बयान स्वेच्छा से दिया हूँ। **अभियोजन साक्षी सं0–03 सुरेश प्रसाद सिंह** है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के पारा 01 में कहा है कि यह घटना कब की है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पारा 02 में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया तथा इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पारा 06 में कहा है कि आज मैं बयान स्वेच्छा से दिया हूँ।

निष्कर्ष

12. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य सामग्रियों के अवलोकन उपरांत मैं पाता हूँ कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कुल तीन साक्षी प्रस्तुत किये गये, जिसे अभियोजन साक्षी 1 विजय शंकर झा जो वाद के सूचक हैं, अभियोजन साक्षी सं0 2 विपिन पासवान एवं अभियोजन साक्षी सं0 3 सुरेश प्रसाद सिंह ने अपने–अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया, तब अभियोजन की ओर से इन तीनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष के द्वारा सभी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण किए जाने पर इन सभी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई बल मिलता हो।

09/03/12

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेर

अभिलेख अवलोकन से यह भी पाता हूँ कि अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत इस वाद के महत्वपूर्ण साक्षी अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा न ही चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य कराया, जबकि वे सरकारी साक्षी हैं। अभियोजन द्वारा किसी भी दस्तावेज को भी प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचना से यह पाता हूँ कि इस वाद में अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। सूचक संहित किसी भी साक्षी ने घ टना का समर्थन नहीं किया है और न ही अभियुक्त की पहचान की है। इस प्रकार उपलब्ध सामग्री के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन पक्ष अपने वाद को अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने के पात्र हैं।

13. अतएव.....

आदेश

इस वाद के उपरोक्त अभियुक्त **1. पप्पू यादव** को धारा **307, 397, 393/34 भा0द0वि0** के अन्तर्गत निर्दोष पाया जाता है। अभियुक्त पूर्व से ही जमानत पर है अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त करते हुए उन्हें इस वाद में मुक्त (Set free) किया जाता है।

Dictated & Corrected by me and pronounced in open court in presence of both side signed and sealed on 09th day of March, 2026.

लेखापित,
Prakal Dutta
09.03.2026
(प्रवाल दत्ता)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
09.03.2026

संशोधित एवं हस्ताक्षरित
Prakal Dutta
09-03-26
(प्रवाल दत्ता)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
09.03.2026

Date of the Judgment/Order	**09-03-2026**
Date of Reserving judgment/Order	**26-02-2026**
Uploading Date	11.03.2026
Uploaded by	Nitish kumar (D.E.O)